

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

पत्रांक—6 / ब0गै0यो0—01—28 / 2016गृ0आ0.....पटना, दिनांक मार्च, 2017
सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा :— वित्त विभाग।

विषय :— वित्तीय वर्ष 2016—17 में गैर—योजना के मांग संख्या—22, मुख्य शीर्ष 2055—पुलिस, उप मुख्यशीर्ष—00, लघु शीर्ष 001—निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष 0008—सिपाही की नियुक्ति केन्द्रीय चयन पर्षद, विषय शीर्ष 28 01—व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा विपत्र कोड N2055000010008 के अंतर्गत संभावित बचत राशि में से इसी मुख्य शीर्ष, उप मुख्यशीर्ष के लघु शीर्ष 001—निदेशन आरै प्रशासन, उपशीर्ष 0003—केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय, विषय शीर्ष 51 01—मोटर गाड़ी तथा विपत्र कोड N2055000010003 अंतर्गत ₹ 2,10,00,000 (दो करोड़ दस लाख रु0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :— बिहार वित्तीय नियमावली के नियम—489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु० :— अनुसूची।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं०—6 / ब0गै0यो0—01—28 / 2016 गृ0आ0.....24.28.....पटना, दिनांक 23 मार्च, 2017

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा—5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (बजट), बिहार, पटना/आईटी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा नन्दन
प्रसाद
21/03/17

सरकार के अवर सचिव

F. No. 11